न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 119/2025
निर्णय दिनांक : 13.04.2026
दायर दिनांक : 17.07.2025
सीएमएस नम्बर : 2025/260

1. नेमीचन्द पुत्र गोपालाराम जाति नाई निवासी ग्राम आबसर तह. सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)।

बनाम

.........................वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
2. रेवन्तराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
3. सायर देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

......................प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बिशु व अधिवक्ता श्री नेमीचन्द गोदारा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनीत खिचड़।

दावा राजस्व रेकार्ड के एक्स (नक्शा) दुरुस्त करवाने बाबत हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज. की रोही में खेत खसरा संख्या 735/654 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। वादी द्वारा वादगत खेत खसरा संख्या 735/654 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर भूमि मूल खसरा संख्या 654/531/395 रकबा 5 बीघा 16 बिश्वा में से जरिये पंजीकृत विक्रय

पत्र दिनांक 19.02.2008 के आधार पर खरीद शुदा स्थित है। जिसके विक्रय पत्र में आसे पासे दर्शाये गये है:–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
बाकी मांदा भूमि ख.नं. 654/531/395 (छः सौ चौवन बटा पांच सौ इक्कतीस बटा तीन सौ पिचानवें) मिन प्रणकर्ता विक्रेता	सम्पर्क सड़क आबसर से राजियासर जाने वाली	बाकी मांदा भूमि ख.नं. 654/531/395 (छः सौ चौवन बटा पांच सौ इक्कतीस बटा तीन सौ पिचानवें) मिन प्रणकर्ता विक्रेता	रास्ता 15 (पन्द्रह) फुट चौड़ा जो विक्रेता द्वारा आवागमनार्थ छोड़ा हुआ है

ख.नं. 654/531/395 में से वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि 3 बिश्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात नया खसरा संख्या 735/654 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर वादी के नाम दर्ज हुआ। जमाबंदी में खातेदारी सही दर्ज हो गई, मगर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के विक्रय पत्र में वर्णित आसे पासे के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई। विक्रय पत्र में पश्चिम दिशा की तरफ रास्ता 15 फीट चौड़ा विक्रेता द्वारा आवागमनार्थ छोड़ा हुआ (जिसे बाद में राज. सरकार के पक्ष में. रास्ता उपयोग हेतु समर्पण कर दिया गया है जिसका वर्तमान खसरा संख्या 946/750 है) जबकि राजस्व रेकार्ड एक्स में पश्चिम दिशा की तरमीम में विक्रेता बाकी मांदा भूमि छोड़ दी जो विक्रय पत्र के अनुसार गलत दर्ज हुई है। उक्त वाद को भली भांति समझने के लिए वादी द्वारा वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है, जिसमें मार्क ।, ठ, ढ, क, जगह गलत तरमीम की गई है, जबकि सही तरमीम नक्शे में दर्शित मार्क म, थ, ळ, भ, दर्ज किया जाना चाहिए। गलत तरमीम के चलते वादी अपने वैद्य कानूनी अधिकारों से महरूम हो रहा है, इसलिये गलत तरमीम को सही करवाने का वादी कानूनी अधिकार है। वादगत खेत खसरा संख्या 735/654 क्षेत्रफल 0.0379 है0 वाके रोही ग्राम आबसर की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है। विक्रय पत्र में विक्रीत भूमि का स्पष्ट आसे पासे अंकित करवाये गये है, जिसके मुताबिक वादी को वादगत भूमि का भौतिक कब्जा, विक्रय पत्र के दिन ही वादी को सुपुर्द कर दिया था तब से वादी वादगत भूमि विक्रय पत्र दर्शित आसे पासे अनुसार काबिज काश्त खातेदार चला आ रहा है व वादगत भूमि पर विक्रय पत्र में दर्शित भूमि पर पुख्ता कब्जा है जिसमें वादी के खेत खसरा संख्या 735/654 पश्चिम दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता है एवं दक्षिण दिशा में सम्पर्क सड़क है। वादगत भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि होने के कारण एक्स दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार है। उक्त अंकन को भूमि धारक द्वारा सही करने से

दिनांक 16.06.2025 को इंकार कर देने से वादी को वादाधार (वाद कारण) प्राप्त है व वादगत भूमि वादी खातेदार होने के कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि:–

(क) वादगत खेत खसरा संख्या 735/654 क्षेत्रफल 0.0379 है0 वाके ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज. के राजस्व रेकार्ड वर्तमान एक्स (नक्शा) का अंकन गलत होने के कारण वर्तमान सीमा जो दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क में ।, ठ, ६, क, में अंकित तरमीम लाईन को हटाकर वादगत खेत खसरा संख्या 735/654 की सही सीमा वाद पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क म, थ, ळ, भ, सीमा की सही तरमीम करे व एक्श दुरूस्त करें।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश फरमावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ से हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नेमीचन्द पुत्र गोपालाराम जाति नाई निवासी ग्राम आबसर के खसरा नम्बर 735/654 रकबा 0.0379 हैक्टर के बारे में मौके पर पूछताछ करने पर उक्त खातेदार का खसरा सदा से ही ख. न. 947/750 रकबा 0.0505 हैक्टर के दक्षिणी दिशा में स्थित है काश्तकार नेमीचन्द के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 946/750 दर्ज है जो कि रास्ते के रुप में काम मे लिया जा रहा है। खसरा नम्बर 735/564 के दक्षिणी दिशा में ग्राम आबसर से हरासर को जाने वाला सरकारी रास्ता खसरा संख्या 403 स्थित है जो कि सूचारु रुप से चल रहा है। उक्त खसरे के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 945/750 दर्ज होकर खातेदार रेवन्तराम पुत्र अमराराम जाति जाट के काश्त में है। वर्तमान में उक्त खसरें मे रिहायशी मकान है जिसमें उक्त खातेदार सपरिवार निवास कर रहा है। मौके पर पूछताछ करने पर मौजी व्यक्तियों ने बताया कि उक्त खसरे की तरमीम शुद्धी किये जाने पर कोई विवाद /उजर आपत्ति नही है। अतः रिपोर्ट पटवारी एवं सलग्न नजरी नक्शे अनुसार मुताबिक कब्जा एवं सहमति के उक्त खसरे की तरमीम शुद्धी किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबाल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार है व वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार

तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि खसरा नम्बर 735/654 रोही ग्राम आबसर की तरमीम विक्रय पत्र एवं मौका स्थिति के अनुसार नहीं है।

राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम मौका अनुसार नहीं होने से प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी का वाद पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार मौका स्थिति अनुसार राजस्व एक्स एवं राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी गलत है जो कि दुरस्त किये जाने योग्य है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़, मौका स्थिति के आधार पर वादी का दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण डिक्री किया जाता है व निम्न आदेश पारित किया जाता है।

—:आदेश:—

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही आबसर के ख0नं0 735/654 रकबा 0.0379 है0 की तरमीम वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार बिन्दु A-B-C-D के बजाय E-F-G-H बिन्दु अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व एक्स नक्शा में तरमीम किया जाये। उक्त नक्शा वादपत्र का हिस्सा रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जाये। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलासै **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

नेमीचन्द बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0 119 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री रमेश कुमार बिस्सु व श्री नेमीचन्द गोदारा, .मिनजानिब मुद्दई व श्री पुनीत खिचड़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही आबसर के ख0नं0 735/654 रकबा 0.0379 है0 की तरमीम वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार बिन्दु A-B-C-D के बजाय E-F-G-H बिन्दु अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व एक्स नक्शा में तरमीम किया जाये। उक्त नक्शा वादपत्र का हिस्सा रहेगा। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

चीज..... मुबलिग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .....

..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।